

## न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़ (राज.)

परिवाद संख्या:- 87 / 2024

तारीख दायर:- 14.10.2024

पीठासीन अधिकारी:- विजयेश कुमार पण्ड्या, आर.ए.एस

खाद्य सुरक्षा अधिकारी जरिये  
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़

-प्रार्थी

बनाम

श्री अभिषेक कोरिया पुत्र श्री महेन्द्र कोरिया, मैसर्स कोरिया रायचंद अमृतलाल, इण्डस्ट्रियल एरिया  
बगवास, प्रतापगढ़


- अप्रार्थी

:-आदेश:-

दिनांक 18/06/2025

शासन उपसचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक पी (2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों का खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्यक्षेत्र के लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किए जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ़ ने अप्रार्थी के विरुद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने सबस्टेण्डर्ड हींग युक्त जीरावन का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(11) का उल्लंघन किया है। जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन, गजट नोटीफिकेशन की प्रति, कार्यक्षेत्र नोटीफिकेशन की प्रति, माल खरीद की प्रति, बिल असल, फार्म नं. 5 ए असल, फर्द रिपोर्ट असल, खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा द्वारा फार्म नं. 6 की प्राप्ति रसीद एवं नमूना मय फार्म नं 6 की प्राप्ति रसीद प्रस्तुत की है। अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीनों भागों की फार्म नं 6 की पुस्त पर प्राप्ति रसीद, खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा की नमूना जाँच रिपोर्ट मय कार्यालय पत्र विक्रेता द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, प्रार्थना पत्र मय पहचान पत्र तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने तथा आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई।

न्यायालय हाजा में प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 22.05.2024 को 2.00 पी.एम. पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी मैसर्स कोरिया रायचंद अमृतलाल इण्डस्ट्रीयल एरिया बगवास, प्रतापगढ़ पहुंचा। वहां हींग युक्त जीरावन के 100 पैकेट 200 ग्राम के पैक अवस्था में रखे थे। वहां पर श्री अभिषेक कोरिया पुत्र श्री महेन्द्र कोरिया उपस्थित थे। श्री अभिषेक कोरिया को परिवादी खाद्य सुरक्षा

  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़

अधिकारी ने अपना परिचय दिया। विक्रेता से पुछने पर उक्त संस्थान का मालिक स्वयं को होना बताया। वास्ते निरीक्षणार्थ खाद्य प्रदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा जिस पर उक्त विक्रेता ने खाद्य अनुज्ञा पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा 200 ग्राम के 8 पैकेट हींग युक्त जीरावन के खरीदे जिसकी कीमत 400 रु विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे सभी ने पढ़कर, समझकर हस्ताक्षर किये। फार्म संख्या 5ए की एक प्रति विक्रेता को देकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

उक्त खरीदशुदा हींग युक्त जीरावन के पैकेट पर लेबल तैयार कर प्रत्येक पैकेट पर छिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ़ के कोड क्रमांक वाई 2189 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाहान एवं विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। चारो नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. वाई 2189 नियमानुसार चारों नमूना जारों पर नीचे से उपर तक गोलाई मे गोंद से छिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवें। चारो नमूना भागों पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

कार्यालय पहुँच कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की प्रत्येक पर नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया गया था। एक नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बांसवाडा को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सीलबन्द कर तथा चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ़ को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न हैं।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद में यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अग्रेषण पत्र द्वारा उनको मालूम हुआ कि उनके द्वारा लिया गया खाद्य पदार्थ हींग युक्त जीरावन का नमूना सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया है।

  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़


अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रकरण तैयार कर अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया गया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण प्रस्तुत करने पर, प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी श्री अभिषेक कोरिया को अपना पक्ष स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्तुत करने हेतु विधिवत सूचना पत्र जारी किया गया।

अप्रार्थी अभियुक्त को उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पेश किये गये परिवाद में वर्णित तथ्यों को पढ़कर अवगत कराया गया। अप्रार्थी अभियुक्त ने अपने लिखित तर्क में बताया कि खाद्य विश्लेषक के द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम 2011 के विनियम 2.9.20.2 के अन्तर्गत मिश्रित गरम मसाला पाउडर की जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत की है। हींग युक्त जीरावन गरम मसाला पाउडर के अन्तर्गत नहीं आता है। जिसका स्पष्ट उल्लेख खाद्य कारोबारकर्ता ने अपने उत्पाद पर स्पष्ट अंकित किया है। अतः प्रकरण की कार्यवाही निरस्त करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत लिखित तर्क का एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का गहन अध्ययन किया। उपरोक्त विवेचन की रोशनी में ज्ञात आया कि हींग युक्त जीरावन गरम मसाला पाउडर की श्रेणी में नहीं आता है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी के विरुद्ध चल रही प्रकरण की कार्यवाही ड्रॉप की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 18.06.2025 को लिखाया जाकर सरे न्यायालय सुनाया गया।


  
(विजयेश कुमार-प्रतापगढ़)  
न्याय-निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़

दिनांक 18.06.2025

कमांक/रीडर/2025/

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक, (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़।

  
(विजयेश कुमार-प्रतापगढ़)  
न्याय-निर्णयन अधिकारी, प्रतापगढ़  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ,  
प्रतापगढ़ (राज.)

परिवाद संख्या 104/2024

तारीख दायर 09.12.2024

पीठासीन अधिकारी:-विजयेश कुमार पण्ड्या, आरएएस

श्री सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी  
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़

-प्रार्थी

बनाम

श्री धर्मेन्द्र जैन पुत्र श्री मांगीलाल, मैसर्स धर्मेन्द्र कुमार मांगीलाल किराणा, सलूम्वर रोड, धरियावद  
- अप्रार्थी

:-आदेश:-

दिनांक 20/05/2025

शासन उपसचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प1 (2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्यक्षेत्र के लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किए जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ़ ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने सब स्टेण्डर्ड घी (श्री रतनागिरी) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(11) का उल्लंघन किया है। जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन, गजट नोटीफिकेशन की प्रति, कार्यक्षेत्र नोटीफिकेशन की प्रति, माल खरीद की प्रति, बिल असल, फार्म नं. 5 ए असल, फर्द रिपोर्ट असल, खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा द्वारा फार्म नं. 6 की प्राप्ति रसीद एवं नमूना मय फार्म नं. 6 की प्राप्ति रसीद, अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीनों भागों की फार्म नं. 6 की पुस्त पर प्राप्ति रसीद, खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा की नमूना जॉच रिपोर्ट मय कार्यालय पत्र तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने तथा आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई।

न्यायालय हाजा में प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 18.09.2024 को 2.00 पी.एम. पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, मै. धर्मेन्द्र कुमार मांगीलाल किराणा, सलूम्वर रोड, धरियावद पहुंचा, वहां पर घी (श्री रतनागिरी) 8 लीटर 600 एम एल पैक पैकेट रखे थे। उस समय मौके पर विक्रेता की हैसियत से जो व्यक्ति उपस्थित हुआ उसने अपना नाम धर्मेन्द्र जैन पुत्र श्री मांगीलाल

बताया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता से खाद्य अनुज्ञापत्र मांगा गया जो विक्रेता के पास मौके पर उपलब्ध था। पैक अवस्था में रखे घी (श्री रतनागिरी) पर शक होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता को प्रपत्र 5 भरकर दिया गया और बताया गया कि उक्त का एफएसएसए के तहत सेम्पल लिया जा रहा है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त घी (श्री रतनागिरी) पैकेट में से 4 पैक पैकेट वास्ते नमूना जॉंच हेतु खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को 1200/-रु नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता व गवाहान व खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है।

यह कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 4 सीलड पैकेट घी (श्री रतनागिरी) 500 एम एल पर लेबल तैयार कर प्रत्येक पैकेट पर एक-एक कर चिपकाये जिस पर डी.ओ. के कोड क्रमांक वाई-2269 दर्ज कर प्रत्येक लेबल पर अन्य विवरण अंकित कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह एवं विक्रेता के हस्ताक्षर कराते हुए प्रत्येक नमूना डिब्बो पर लेबल चिपकाने सम्बन्धी कार्यवाही करने के बाद प्रत्येक डिब्बों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर सिरों को गोंद से चिपकाया गया। चारो नमूना जारों पर डी.ओ. के कोड क्रमांक वाई-2269 दर्ज कर प्रत्येक लेबल पर अन्य विवरण अंकित कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं गवाह ने हस्ताक्षर किये, विक्रेता ने पेपर स्लिप व खाकी कागज कौंस करते हुए अपने हस्ताक्षर किये। नियमानुसार नमूना लेकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लिये गये चारों नमूनों को अपने जाप्ते में लिया।

कार्यालय पहुँच कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की तथा प्रत्येक पर वह नमूना सिल लगाई जिससे नमूना सिल की थी। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलडबन्द कर सीलड मोहर कर खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म सं.6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सीलड मोहर कर खाद्य विश्लेषक बांसवाडा को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सीलड बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सीलड बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला प्रतापगढ़ को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पत्र द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक बांसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ घी (श्री रतनागिरी) सब स्टेण्डर्ड होना पाया गया। उक्त क्रम में फर्म के मालिक को फर्म सम्बन्धित कागजात की छायाप्रति प्रस्तुत करने हेतु खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा सूचना दी गई। फर्म के मालिक द्वारा लायसेंस की छाया प्रति प्रस्तुत की।


अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रकरण तैयार कर अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया गया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण प्रस्तुत करने पर, प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी श्री धर्मेन्द्र जैन को अपना पक्ष स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्तुत करने हेतु विधिवत सूचना पत्र जारी किया गया। अप्रार्थी अभियुक्त उपस्थित तथा प्रकरण में जवाब देने से मना किया। साथ ही प्रकरण में न्यूनतम जुर्माना किये जाने का मौखिक निवेदन किया।

परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला बांसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या पीएच लेब/बांस/एक्ट/2024/1092 दिनांक 01.10.2024 के अनुसार अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अपनी दुकान से बेचा जा रहा घी (श्री रतनागिरी) का नमूना जांच रिपोर्ट में सब स्टेण्डर्ड होना पाया गया है।

अतः खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(11) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थी पर 10000/ रु अक्षरे दस हजार रु शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त उपरोक्त शास्ति की राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ के नाम जरिये डी0डी0/नगद न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में निर्णय दिनांक 20.05.2025 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 20.05.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।




(विजयेश कुमार पण्ड्या)  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़

कमांक / रीडर / 2025 /

दिनांक 20.05.2025

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक, (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं , जयपुर ।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़ ।
3. श्री धर्मेन्द्र जैन पुत्र श्री मांगीलाल, मैसर्स धर्मेन्द्र कुमार मांगीलाल किराणा, सलूमबर रोड, धरियावद



(विजयेश कुमार पण्ड्या)  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़ (राज.)

परिवाद संख्या 41/2025

तारीख दायर:-18.06.2025

पीठासीन अधिकारी:-विजयेश कुमार पण्ड्या, आर.ए.एस

खाद्य सुरक्षा अधिकारी  
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़

-प्रार्थी

बनाम

श्री लक्षित जैन पुत्र श्री नेमीचन्द, मैसर्स मुकेश कुमार धिमनलाल नया बोरिया

- अप्रार्थी

:-आदेश:-

दिनांक 07/10/2025

शासन उपसचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प1 (2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों का खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्यक्षेत्र के लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किए जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ़ ने अप्रार्थी के विरुद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने सब स्टेण्डर्ड बेसन का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन, गजट नोटीफिकेशन की प्रति, कार्यक्षेत्र नोटीफिकेशन की प्रति, माल खरीद की प्रति, बिल असल, फार्म नं. 5 ए असल, फर्द रिपोर्ट असल, खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा द्वारा फार्म नं. 6 की प्राप्ति रसीद एवं नमूना मय फार्म नं0 6 की प्राप्ति रसीद, अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीनों भागों की फार्म नं0 6 की पुश्त पर प्राप्ति रसीद, खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा की नमूना जाँच रिपोर्ट मय कार्यालय पत्र तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने तथा आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई।

न्यायालय हाजा में प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 23.12.2024 को 4.30 पी.एम. पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी मै0 मुकेश कुमार धिमनलाल नया बोरिया पहुंचा वहां पर एक रिक में 10 पैक पैकेट बेसन (श्री गणेश) रखे थे। उस समय मौके पर विक्रेता की हैसियत से जो व्यक्ति

उपस्थित हुआ उसे खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपना परिचय दिया व उसका परिचय लिया। विक्रेता ने अपना नाम लक्षित जैन पुत्र नेमीचन्द बताया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता से खाद्य पदार्थ अनुज्ञा पत्र मांगा गया जो विक्रेता के पास मौके पर उपलब्ध था। पैक अवस्था में रखे बेसन (श्री गणेश) पर शक होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता को प्रपत्र 5 अ भरकर दिया और बताया गया कि उक्त का एफएसएसए के तहत सैम्पल लिया जा रहा हूँ। जिसकी प्रति न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त पैक बेसन (श्री गणेश) के 4 पैकेट पैक अवस्था में वास्ते नमूना जॉच हेतु खरीदी जिसकी कीमत विक्रेता को 260/-रु नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

यह कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री विक्रेता ने समझकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5 ए की एक प्रति विक्रेता को देकर रसीद प्राप्त की। यह कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा बेसन को पैक पैकेट पर विक्रेता एवं गवाहान के सामने लेबल तैयार कर प्रत्येक पैकेट पर चिपकाये और लेबल पर डीओ के कोड क्रमांक, दिनांक व स्थान दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर कर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। चारों नमूना भागों को अलग-अलग 2 भूरे कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डीओ प्रतापगढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. वाई 2358 चिपकाई। नियमानुसार चारों नमूना डिब्बों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार पेपर स्लिप व रेपर पर होते हुए करवाये, गवाह के हस्ताक्षर करवाये। चारों नमूना के रेपर पर कोड नम्बर, सिरियल नम्बर, वस्तु का नाम, दिनांक व स्थान अंकित कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को उनके जाप्ते में लिया।

कार्यालय पहुँच कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की प्रत्येक पर नमूना सिल लगाई जिससे नमूना सिल किया गया था। फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा को देकर रसीद प्राप्त की। 2 नमूना मय फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा को जमा करा कर रसीद प्राप्त की। शेष 2 सील बंद नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटर कवर में सील बंद कर

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ़ को खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जमा करवाये जाने का उल्लेख किया गया है। जिनकी 11/11/2024 रसीद फार्म नं० 6 की पुरत पर है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद में यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अग्रेषण पत्र द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को मालूम हुआ कि उनके द्वारा लिया गया बेसन का नमूना सब स्टेण्डर्ड पाया गया है। अभिहित अधिकारी द्वारा विक्रेता को फर्म से सम्बन्धित कागजात की छायाप्रति प्रस्तुत करने को कहा गया। इस क्रम में मालिक द्वारा फूड लायसेंस की प्रति प्रस्तुत की।

अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रकरण तैयार कर अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया गया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण प्रस्तुत करने पर, प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को अपना पक्ष स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्तुत करने हेतु विधिवत सूचना पत्र जारी किया गया। अप्रार्थी उपस्थित एवं जवाब देने से मना किया।


परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या पीएच लेब/बांसवाडा/एक्ट/2025/08 दिनांक 03.01.2025 के अनुसार अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अपनी दुकान से बेचा जा रहा बेसन का नमूना जांच रिपोर्ट में सब स्टेण्डर्ड पाया गया है, जिसके लिये अभियुक्त अप्रार्थी दोषी प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) के तहत अमानक पदार्थ बेचने का दोषी है जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। उपरोक्त प्रावधान को मद्देनजर रखते हुए अप्रार्थी अभियुक्त को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित है।

अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(i) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थी के वहां दिनांक 23.12.2024 को

उपलब्ध कुल माल 10 पैकेट की कुल कीमत 650 रु (प्रत्येक पैकेट की कीमत 60 रु) की दस गुना शास्ति अर्थात (10x64x10)=6500/रु अक्षरे छह हजार पाँच सौ रु अप्रार्थी अभियुक्त पर आरोपित की जाती है। अभियुक्त उपरोक्त शास्ति की राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ के नाम जरिये डी0डी0 अथवा नगद न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में निर्णय दिनांक 07.10.2025 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 07.10.2025 को लिखाया जाकर सरे न्यायालय सुनाया गया।


  
(विजयेश कुमार पण्ड्या)  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़

दिनांक 07.10.2025

क्रमांक/रीडर/2025/

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक, (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़।
3. अप्रार्थी अभियुक्त श्री लक्षित जैन पुत्र श्री नेमीचन्द, मैसर्स मुकेश कुमार चिमनलाल नया बोरिया

  
(विजयेश कुमार पण्ड्या)  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,  
प्रतापगढ़ (राज.)

परिवाद संख्या 65/2025

तारीख दायर 03.10.2025

पीठासीन अधिकारी:-विजयेश कुमार पण्ड्या, आरएएस

श्री सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी  
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़

-प्रार्थी

बनाम

श्री राजेन्द्र पालीवाल पुत्र श्री बाबुलाल, मैसर्स राधिका इन्टरप्राइजेज कृषि मण्डी रोड गोपालगंज  
प्रतापगढ़

- अप्रार्थी

:-आदेश:-

दिनांक 25/03/2026

शासन उपसचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प1  
(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की  
धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलों में कार्यरत अतिरिक्त  
जिला मजिस्ट्रेटों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ  
कार्यक्षेत्र के लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किए जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी  
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ़ ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक परिवार  
इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने सब स्टेण्डर्ड गाय धी (भूमी) का विक्रय करके खाद्य  
सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(11) का उल्लंघन  
किया है। जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 5।  
में निर्धारित है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवार के साथ न्याय निर्णय आवेदन, गजट  
नोटीफिकेशन की प्रति, कार्यक्षेत्र नोटीफिकेशन की प्रति, माल खरीद की प्रति, बिल असल, फार्म  
नं. 5 ए असल, फर्द रिपोर्ट असल, खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा द्वारा फार्म  
नं. 6 की प्राप्ति रसीद एवं नमूना मय फार्म नं. 6 की प्राप्ति रसीद, अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य  
नमूना के तीनों भागों की फार्म नं. 6 की पुस्त पर प्राप्ति रसीद, खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य  
प्रयोगशाला बांसवाडा की नमूना जॉच रिपोर्ट मय कार्यालय पत्र तथा अभिहित अधिकारी द्वारा  
पत्रावली पेश करने तथा आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई।



कार्यालय हाजा में प्रस्तुत परिवार के अनुसार दिनांक 06.08.2025 को 3.00 पी.एम. पर  
खाद्य सुरक्षा अधिकारी, मै. राधिका इन्टरप्राइजेज कृषि मण्डी रोड प्रतापगढ़ पहुंचा। वहां  
धो धी (भूमी) 500 एमएलके 6 पैक पैकेट रखे थे। उस समय मौके पर विक्रेता की

हैसियत से जो व्यक्ति उपस्थित हुआ उसने अपना नाम राजेन्द्र पालीवाल पुत्र श्री बाबुलाल बताया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता से खाद्य अनुज्ञापत्र मांगा गया जो विक्रेता के पास मौके पर उपलब्ध था। पैक अवस्था में रखे गाय का घी (भूमी) पर शक होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता को प्रपत्र 5 भरकर दिया गया और बताया गया कि उक्त का एफएसएसए के तहत सेम्पल लिया जा रहा है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त गाय का घी (भूमी) पैकेट में से 4 पैक पैकेट वास्ते नमूना जॉच हेतु खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को 1400/-रु नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता व गवाहान व खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर हैं।

यह कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 4 सीलड पैकेट गाय का घी (भूमी) 500 एमएल पर लेबल तैयार कर प्रत्येक पैकेट पर एक-एक कर चिपकाये जिस पर डीओ के कोड क्रमांक वाई-2525 दर्ज कर प्रत्येक लेबल पर अन्य विवरण अंकित कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह एवं विक्रेता के हस्ताक्षर कराते हुए प्रत्येक नमूना डिब्बो पर लेबल चिपकाने सम्बन्धी कार्यवाही करने के बाद प्रत्येक डिब्बों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर सिरों को गोंद से चिपकाया गया। चारो नमूना जारों पर डी.ओ. के कोड क्रमांक वाई-2525 दर्ज कर प्रत्येक लेबल पर अन्य विवरण अंकित कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं गवाह ने हस्ताक्षर किये, विक्रेता ने पेपर स्लिप व खाकी कागज कौंस करते हुए अपने हस्ताक्षर किये। नियमानुसार नमूना लेकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लिये गये चारों नमूनों को अपने जाप्ते में लिया।

कार्यालय पहुँच कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की तथा प्रत्येक पर यह नमूना सिल लगाई जिससे नमूना सिल की थी। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलडबन्द कर सीलड मोहर कर खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म सं.6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सीलड मोहर कर खाद्य विश्लेषक बांसवाडा को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सीलड बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति



प्रतियां के आउटर कवर में सीलड बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला प्रतापगढ़ को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अभिहित जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़

यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पत्र द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक बांसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ गाय का घी (भूमी) सब स्टेण्डर्ड होना पाया गया। उक्त क्रम में फर्म के मालिक को फर्म सम्बन्धित कागजात की छायाप्रति प्रस्तुत करने हेतु खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा सूचना दी गई। फर्म के मालिक द्वारा लायसेंस की छाया प्रति प्रस्तुत की।

अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रकरण तैयार कर अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया गया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद प्रस्तुत किया।


खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण प्रस्तुत करने पर, प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी श्री कपिल डागरिया को अपना पक्ष स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्तुत करने हेतु विधिवत सूचना पत्र जारी किया गया। अप्रार्थी अभियुक्त उपस्थित एवं प्रकरण में जवाब देने से मना किया।

परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला बांसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या पीएचले / बांस/एक्ट/2025/1070 दिनांक 18.08.2025 के अनुसार अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अपनी दुकान से बेचा जा रहा गाय का घी का नमूना जांच रिपोर्ट में सब स्टेण्डर्ड होना पाया गया है।

अतः खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(11) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थी पर 31500 रु अक्षरे इकतीस हजार पाँच सौ रु शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त उपरोक्त शास्ति की राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट प्रतापगढ़ के नाम जरिये डी0डी0/नगद न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में निर्गत दिनांक 25.03.2026 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।



निर्णय आज दिनांक 25.03.2026 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

  
(विजयेश) न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़

दिनांक 25.03.2026

क्रमांक/रीडर/2026/प्र.नं. 65128

तिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक, (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं ,जयपुर ।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़ ।
3. श्री राजेन्द्र पालीवाल पुत्र श्री बाबुलाल, मैसर्स राधिका इन्टरप्राइजेज कृषि मण्डी रोड गोपालगंज प्रतापगढ़



*(Handwritten signature)*

(विजयेश कुमार मिश्र)  
न्याय निर्णय अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़